न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 901–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.01.2014 पारित व्दारा – अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण क्रमांक 1059 अ 27/2008–09 अपील

श्रीमती लीलादेवी पुत्री राधिका प्रसाद खरे
पत्नि हेमन्तकुमार खरे, निवासी आमलपुरा
तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती गजरा देवी पुत्री राधिका प्रसाद खरे
पत्नि लक्ष्मीप्रसाद खरे निवासी आलमपुरा
तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.श्रीवास्तव)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक २७–१०–2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 1059 अ 27/2008–09 अपील में पारित दिनांक 24.01.2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि दिनांक 8–11–04 आवेदक ने म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109.110

के अंतर्गत तहसीलार पलेरा को आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि श्रीमती फूलन दुलैया पत्नि राधिकाप्रसाद खरे निवासी पृथ्वीपुर के नाम ग्राम लारोन तहसील पलेरा में भूमि सर्वे कमांक 834/4 रकबा 0.809 हैक्टर थी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है । मृतक महिला ने उसके नाम बसीयतनामा दिनांक 8-8-89 उप पंजीयक पृथ्वीपुर के यहां संपन्न कराया है इसलिये बसीयत के आधार पर नामान्तरण किया जावे। अनावेदक ने भी म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109.110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर उसके हित में की गई बसीयत के आधार पर नामान्तरण की मांग की। तहसीलदार पलेरा ने प्रकरण कमांक 5 अ-6/ 2004-05 दर्ज किया तथा सुनवाई प्रारंभ की तथा आदेश दिनांक 9.1.2009 पारित किया एंव ग्राम लारोन स्थित भूमि सर्वे कमांक 834/4 रकबा 0.809 हैक्टर पर बसीयतनामा दिनांक 8.8.89 को प्रमाणित होना मानकर आवेदक का नामांत्रण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी जतारा के समक्ष अपील कमांक 31/2008-09 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 28.8.09 से अपील अमान्य की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष द्वित्तीय अपील होने पर प्रकरण कमांक 1059 अ 27/2008-09 अपील में पारित दिनांक 24.01.2014 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 9.1.09 तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 28.8.09 निरस्त किये गये तथा ग्राम लारोन स्थित भूमि सर्वे कमांक 834/4 रकबा 0.809 है0 पर अनावेदक के हित में नामान्तरण स्वीकार किया गया। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव तहसीलदार पलेरा के प्रकरण क्रमांक 5 अ-6/ 2004-05 में आये तथ्यों एंव उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 9.1.2009 एंव अनुविभागीय अधिकारी जतारा द्वारा क्रमांक 31/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 28.8.09 तथा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 1059 अ 27/2008-09 अपील में पारित दिनांक 24.01.2014 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार एंव अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष तथा अपर आयुक्त व्दारा आदेश दिनांक 24.1.14 में निकाले गये निष्कर्ष परस्पर विरोधाभाषी है एंव किसी भी पीठासीन अधिकारी ने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि :-

1. आवेदिका एंव अनावेदिका दोनों ही सगी बहिने हैं तब क्या वादग्रस्त भूमि श्रीमती फूलन दुलैया पत्नि राधिकाप्रसाद खरे की स्वअर्जित भूमि थी अथवा पूर्वजों से प्राप्त भूमि - जिस पर बसीयत प्रभावी मानी जाय अथवा नहीं ?
2. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14,15,16 में हिन्दू नारी की संपत्ति वावत् दिये गये उत्तराधिकार नियमों पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों को ध्यान देना था, जो उनके व्दारा नहीं दिया गया।
3. पंजीकृत बसीयत पर अपंजीकृत बसीयत की तुलना अधिक भरोसा किया जाय अथवा नहीं - इस पर ध्यान नहीं दिया गया।
4. किसी भी न्यायालय ने प्रकरण में आई साक्ष्य की भलीभॉति विवेचना नहीं की गई एंव निष्कर्षित साक्ष्य पर बोलते हुये आदेश पारित नहीं किये है।

स्पष्ट है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों में विधिक नीति एंव

नामान्तरण प्रक्रिया का पालन न करके सरसरी-तौर पर आदेश पारित किये हैं, जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 1059 अ 27/2008-09 अपील में पारित दिनांक 24.01.2014 , अनुविभागीय अधिकारी जतारा द्वारा कमांक 31/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 28.8.09 तथा तहसीलदार पलेरा द्वारा प्रकरण कमांक 5 अ-6/ 2004-05 में पारित आदेश दिनांक 9.1.2009 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण तहसीलदार पलेरा की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उक्त निर्धारित बिन्दुओं के कम में पुर्नविचार करें तथा उभय पक्ष को साक्ष्य एंव सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर प्रकरण में पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर